बिहान

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान''

Chhattisgarh State Rural Livelihoods Mission (CGSRLM)

बिहान

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान''

Chhattisgarh State Rural Livelihood Mission (CGSRLM)

परिचय

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार व्दारा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जून, 2011 से प्रारंभ किया है ।

दिनांक 1 जून 2011 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ''छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्ध्दन समिति'' का गठन किया गया है, जिसे ''बिहान'' नाम दिया गया है - जिसका अर्थ है ''सबेरा'' ।

छत्तीसगढ़ राज्य में समुदाय के माध्यम से ग्रामीण गरीब एवं वंचित परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने एवं उनका जीवनस्तर ऊंचा उठाने के लिए बिहान कार्यरत है ।

मिशन

ग्रामीण गरीब परिवारों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी सशक्त एवं स्थायी संस्थाएं बनाकर लाभदायक स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी वाले रोजगार के अवसर प्राप्त करने में समर्थ बनाना जिसके फलस्वरुप उनकी गरीबी कम हो एवं उनके जीवनस्तर में उल्लेखनीय सुधार हो ।

उद्देश्य

- छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक ग्रामीण गरीब व वंचित परिवारों से कम से कम एक महिला को स्व-सहायता समूह से जोड़कर संगठित करना है ।
- स्व-सहायता समूह की उच्चस्तरीय सामुदायिक संस्थाओं यथा ग्राम संगठन (VO), संकुल स्तरीय संगठन (CLF) विकासखंड स्तरीय संगठन (BLF) व जिला संगठन का निर्माण करना ।
- समूह से जुड़े सदस्यों के आजीविका विकास हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना ।
- बिहान की गतिविधियों एवं अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण गरीब परिवारो की वार्षिक आय में न्यूनतम राशि रु. 1 लाख से अधिक की वृध्दि में सहयोग करना ।

सामाजिक अन्तर्वेशन एवं संस्था निर्माण
(Social Mobilization & Institution building)

1. स्वयं सहायता समूहों का गठन : सामाजिक- आर्थिक एवं जातिगत जनगणना, 2011 की सूची में शामिल गरीब एवं वंचित परिवार की महिलाओं को स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित किया जाता है । एक समूह में 10 से 15 महिलाएं हो सकती हैं ।

2. समूह की सक्रिय महिलाओं (active women) का चिन्हांकन कर क्षमतावर्धन कर सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP) के रूप में विकसित करना ।

3. 4 से 5 CRP के माध्यम से नए गांव में CRP चक्र प्रारंभ कर नए समूहों का गठन करना तथा पुराने समूहों को पुनर्जीवित करना, निष्क्रिय समूहों को क्रियाशील कराना ।

4. स्वयं सहायता समूहों की क्रियाशीलता हेतु पंचसूत्र का पालन अनिवार्य

1. नियमित बैठक
2. नियमित बचत
3. नियमित आंतरिक लेन-देन
4. नियमित ऋण-वापसी
5. नियमित दस्तावेज संधारण

अन्य 6 सूत्र

6. स्वच्छ समूह
7. सुशिक्षित समूह
8. नशामुक्त समूह
9. स्वस्थ समूह
10. सुपोषित समूह
11. सशक्त समूह- ग्राम सभा में सहभागिता ।

5. स्व-सहायता समूहों के सहयोग एवं निरंतरता के लिये उच्चस्तरीय संगठन तथा ग्राम संगठन (VO), संकुल स्तरीय संगठन (CLF), विकासखंड स्तरीय संगठन (BLF) व जिला स्तरीय संगठन (DLF) का गठन किया जाता है ।

6. इन संगठनों के सशक्तिकरण हेतु स्टार्ट-अप राशि के रूप में रु. 35,000 प्रत्येक ग्राम-संगठन को तथा रुपये 2 लाख प्रत्येक संकुल स्तरीय संगठन को दिया जाता है ।

7. इन संगठनों के कार्यों एवं आजीविका मिशन की निर्धारित गति विधियों के संचालन हेतु विभिन्न उपसमितियाँ गठित की गई हैं ।

8. सामाजिक समावेशन (Social Inclusion) के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना, 2011 के आंकड़ों के आधार पर वंचित वर्ग के परिवारों एवं सर्वेक्षण में छूटे परिवार, विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति, दिव्यांग, महिला मुखिया (विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा आदि), भूमिहीन तथा अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित किया जा रहा है । साथ ही इनके आजीविका संवर्धन एवं हकदारी (entitlements) तक पहुँच बनाने हेतु भी कार्य किया जा रहा है ।

- वर्तमान में 146 विकासखण्ड सघन
- 28 जिले पूर्णतः सघन

छत्तीसगढ़ के कुल 45.41 लाख ग्रामीण परिवारों में से 37.21 लाख (82 %) ग्रामीण परिवार SECC अनुसार विहान हेतु लक्षित परिवार है ।

वित्तीय समावेशन
(Financial Inclusion)

- ग्राम की गरीब महिलाओं एवं उनके स्व-सहायता समूहों को बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बनाने के लिये वित्तीय समावेशन के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- 3 माह पुराने एवं पंच-सूत्र का पालन करने वाले स्व सहायता समूहों को रु. 15000 चक्रीय निधि(Revolving Fund-RF) के रूप में प्रदान किया जाता है, ताकि उनके कॉर्पस में वृद्धि हो सके एवं समूह के सदस्य अधिक राशि का लेनदेन कर सकें।
- 5 माह पुराने स्व-सहायता समूहों की एमसीपी मास्टर ट्रेनर के माध्यम से ''सूक्ष्म ऋण योजना-MCP'' तैयार की जाती है, जिसके आधार पर स्व सहायता समूह को राशि रुपये 50 से 60 हजार तक की सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund-CIF) प्रदाय की जाती है।
- 6 माह पुराने एवं पंच-सूत्र का पालन कर रहे स्व-सहायता समूहों को उनकी आजीविका गतिविधियों हेतु बैंक के माध्यम से रुपये 50 हजार से 3 लाख तक का बैंक ऋण प्रदाय किया जाता है।
- ग्राम स्तर पर मौजूद अति गरीब, पिछड़े व कमजोर वर्ग के परिवारों की सहायता हेतु ग्राम-संगठनों को रुपये 1.50 लाख तक का आपदा-कोष (Vulnerability Reduction Fund-VRF) प्रदाय किया जाता है।
- स्व-सहायता समूहों को वित्तीय रुप से साक्षर बनाने हेतु समूह की सक्रिय महिलाओं में से बैंक मित्र, वित्तीय साक्षरता-सीआरपी, बैंक सखी आदि सामुदायिक संवर्ग तैयार कर इनकी सेवायें ली जाती हैं।

आजीविका
(Livelihoods)

Farm Livelihoods

कृषि क्षेत्र में ग्रामीण गरीब एवं वंचित समूह के परिवारों का आजीविका संवर्धन कर वर्ष भर आय के स्थायी साधन उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। जिसमें ''बिहान'' से जुड़े समूह के सदस्यों को आजीविका के क्षेत्र में समूह की सक्रिय महिलाओं (कृषि मित्र, आजीविका मित्र, पशुसखी) के माध्यम से ऐसे परिवारों की आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।

वर्तमान में ''बिहान'' अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में निम्नांकित परियोजनाएँ संचालित की जा रही है :-

संवहनीय कृषि (Sustainable Agriculture)

- परियोजना अंतर्गत प्राकृतिक बीजोपचार, मृदा संरक्षण एवं प्रबंधन, जैविक खाद (नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट, हरीखाद, आजोला पिट), जैविक कीटनाशक का निर्माण एवं उपयोग, श्रीविधि पद्धति द्वारा धान गेहूँ उत्पादन आदि कृषि संबंधित गतिविधियों जिससे कृषि लागत कम किया जा सके।
- इस कार्य हेतु प्रत्येक ग्राम में 1 कृषि मित्र एवं 1 पशु सखी का चयन कर प्रशिक्षण उपरांत संवहनीय कृषि एवं पशुपालन आधारित गतिविधियों का प्रचार प्रसार व कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाना।
- प्रत्येक ग्राम संगठन में कृषि यंत्र बैंक (Tool Bank) की स्थापना की जानी है। जिसका संचालन ग्राम संगठन की आजीविका उप समिति द्वारा किया जाना।

महिला किसान सशक्तिकरण (MKSP)

समुदाय आधारित संवहनीय कृषि (CMSA)

- **वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के 27 जिले के 64 विकासखंड में संचालित है एवं अबतक 275794 स्वा-सहायता समूह के सदस्यों/परिवारों को लाभान्वित किया गया है |**
- **परियोजना अंतर्गत 3313 कृषि सखी एवं 3259 पशु सखी कार्यरत है |**

स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम

Start-up Village Entrepreneurship Programme (SVEP)

परिचय

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान'' अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की उपयोजना के रूप में स्टार्ट-अप विलेज आन्त्रप्रिन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) भारत सरकार के मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार शुरु किया गया है।

उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा स्व-रोजगार एवं रोजगार के अवसर बढ़ाना,
- मैन्यूफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेस, परंपरागत कौशल एवं स्थानीय उपलब्ध संसाधन के वैल्यू एडीशन के माध्यम से बेसलाईन सर्वे एवं मार्केट एनालिसिस के आधार पर नये ग्रामीण उद्यमी एवं उद्यम तैयार करना तथा कार्यरत उद्यमियों का बिजनेस स्किल बढ़ाना,
- गरीब एवं वंचित ग्रामीणों के कौशल उन्नयन एवं उनकी भागीदारी से ही ग्रामीण बाजार विकसित कर ग्रामीण परिवारों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति मजबूत करना,
- ग्रामीण उद्यमियों के लिए वित्त की व्यवस्था करने में सहयोग करना,

क्रियान्वयन

- छत्तीसगढ़ राज्य में योजना के क्रियान्वयन के लिए नेशनल रिसोर्स ऑर्गनाइजेशन तथा **Program Implementation Agency (PIA)** के रूप में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान(**EDII**), अहमदाबाद कार्य कर रही है, जिनके द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड के लिए उद्यमिता के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है,
- बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट के कार्य के लिए स्थानीय ग्रामीण महिला या पुरुष को कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन-इंटरप्राईस प्रमोशन (**CRP-EP**) के रूप में चयन कर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है,
- बिहान अंतर्गत गठित सामुदायिक संगठन- ब्लॉक या नोडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन(**BLF/CLF**) के द्वारा विकासखण्ड स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर(**BRC**) संचालित किये जा रहें हैं। जिनके द्वारा चयनित उद्यमियों को **CRP-EP** के सहयोग से तैयार किये गये बिजनेस प्लान के अनुमोदन के उपरांत प्रारंभिक वित्तीय सहायता के रूप में योजनांतर्गत प्रावधानित सामुदायिक उद्यम राशि(**Community Enterprise Fund**) ऋण तथा बैंक लिंकेज किया जायेगा। साथ ही उनको एक्सपोजर विजिट तथा शासकीय योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से आवश्यक सपोर्ट प्रदान किया जायेगा।

योजनांतर्गत पात्रता

- उद्यमिता विकसित करने आयु का कोई बंधन नहीं है, गैर कृषि उद्यम ही मान्य होंगे तथा मनरेगा से जुड़े व्यक्ति, महिला, अनुसूचित व जनजाति, वंचित वर्ग के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

खुशियाँ बिखेरता
बिहान

BIHAN

Chhattisgarh State Rural Livelihoods Mission

बिहान

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

वेबसाईट : www.bihan.gov.in